**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर**

**रिट याचिका क्र 2238/2001**

**याचिकाकर्ता -** नवल किशोर बघेल

बनाम

**उत्तरवादी -** साउथ इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**निर्णय उद्घोषित किये जाने हेतु दिनांक 7 फरवरी 2011 को सूचीबद्ध करे**

**सही/-**

**सतीश के. अग्निहोत्री**

**न्यायधीश**

**<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय, बिलासपुर</u>**

**(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका)**

**एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री**

---

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**उपस्थित :**

**श्री अली असगर, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से।**

**श्री पी.एस. कोशी, अधिवक्ता उत्तरवादियों की ओर से**

---

**(निर्णय दिनांक 7 फ़रवरी, 2011 को उद्घोषित)**

1. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता मुख्य रूप से निम्नलिखित अनुतोष की मांग करता है :

(i) यह कि उसे दिनांक 2-7-1990 से ग्रेड 'ए' प्रदान किया जाए।

**(ii)** यह कि उसे दिनांक जुलाई, 1993 से ई-1 ग्रेड में पदोन्नत किया जाए।

**(iii)** यह कि उसे दिनांक जुलाई, 1996 से ई-2 ग्रेड में पदोन्नत किया जाए।

**(iv)** यह कि उसे दिनांक जुलाई, 1999 से ई-3 ग्रेड में पदोन्नत किया जाए।

**(v)** उपरोक्त ग्रेडों में पदोन्नति दिए जाने के पश्चात, उसे उसी तिथि से सभी मौद्रिक लाभ, जिसमें बकाया राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए, जिस तिथि से वहइसके लिए पात्र बनता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**2.** संक्षेप में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रकरण के निर्णय हेतु प्रस्तुत किए गए तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को दिनांक 2-7-1990 को उप सर्वेक्षक (खनन) के पद पर नियुक्त किया गया था (अनुलग्नक – ए/1) तथा उसे ग्रेड 'सी' प्रदान किया गया था| याचिकाकर्ता के अनुसार, उत्तरवादियों की दिनांक 10-1-1989 की नीति/परिपत्र (अनुलग्नक – ए/2) के अनुसार, याचिकाकर्ता को ग्रेड 'ए' दिया जाना चाहिए था क्योंकि वह खनन अभियांत्रिकी में डिप्लोमा धारक था। याचिकाकर्ता ने अपनी समस्त शिकायतें व्यक्त करते हुए दिनांक 2-8-1991 को

प्रतिवादी प्राधिकरीणों के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (अनुलग्नक – ए/3) तथा अपने ग्रेड को 'सी' से 'ए' में उन्नत किए जाने का अनुरोध किया। इसके उपरांत, याचिकाकर्ता ने पुनः दिनांक 13-7-1992 को एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (अनुलग्नक – ए/4) और अपने प्रकरण पर विचार किए जाने का निवेदन किया, परंतु उसके अभ्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. इसी दौरान, दिनांक 16-7-1992 के आदेश (अनुलग्नक – ए/5) द्वारा याचिकाकर्ता का ग्रेड उन्नत कर उसे उप सर्वेक्षक ग्रेड 'बी' प्रदान किया गया। तत्पश्चात, दिनांक **26-3-1993** के आदेश (अनुलग्नक – ए/7) द्वारा याचिकाकर्ता को सर्वेक्षक ग्रेड 'ए' के पद पर पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता ने दिनांक **1-4-1993** को उक्त पदभार ग्रहण किया (अनुलग्नक – ए/8), किंतु यह पद उसने शर्तों के अधीन स्वीकार किया।

**4.** याचिकाकर्ता के अनुसार, दिनांक 3-3-1994 के आदेश (अनुलग्नक – ए/9) द्वारा प्रतिवादी प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता को दिनांक 2-7-1990 से ग्रेड 'ए' में

काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान की, परंतु वेतन में कोई अंतर दिए बिना। तथापि, उक्त आदेश की प्रति याचिकाकर्ता को आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रतिवादी प्राधिकरीणों द्वारा की गई इस त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता अनेक पदोन्नति अवसरों से वंचित हो गया और उसके कनिष्ठ कर्मचारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत कर दिया गया। यहाँ तक कि दिनांक 24-11-1994 के आदेश (अनुलग्नक – ए/11) द्वारा आठ व्यक्तियों को ग्रेड **ई-1** के पद पर पदोन्नत कर दिया गया, किंतु याचिकाकर्ता के नाम पर विचार नहीं किया गया।इसके पश्चात भी, दिनांक 25-2-1999 के आदेश (अनुलग्नक – ए/13) द्वारा कुछ कर्मचारियों को ग्रेड **ई-2** में पदोन्नत किया गया। यदि याचिकाकर्ता की नियुक्ति एवं पदोन्नति सही समय पर और विधिपूर्वक की गई होती, तो उसका नाम दिनांक 25-2-1999 की पदोन्नति सूची में सम्मिलित किया गया होता। इससे पूर्व, याचिकाकर्ता ने एक अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर **रिट याचिका क्र. 2007/1994** दायर की थी, जिसे बाद की घटनाओं का उल्लेख करते हुए नई

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने पर निरस्त कर दिया गया था। अतः यह वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

**5.** याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत विद्वान् अधिवक्ता श्री अली असगर ने तर्क दिया कि प्रतिवादी प्राधिकरीणों द्वारा की गई कार्यवाही अवैध, मनमानी तथा विधि के स्थापित सिद्धांतों के विरुद्ध है। उत्तरवादियों को याचिकाकर्ता को दिनांक 2-7-1990 से ग्रेड 'ए' तथा उसके सभी परिणामी लाभ प्रदान करने चाहिए थे। याचिकाकर्ता की शिकायतों पर प्रतिवादी प्राधिकरीणों द्वारा समयबद्ध रूप से विचार नहीं किया गया। वास्तव में, याचिकाकर्ता दिनांक 2-7-1990 से ही ग्रेड 'ए' के लिए पात्र था और प्रतिवादी प्राधिकरीणों के परिपत्रों के अनुसार अब तक वह वरिष्ठ सर्वेक्षण अधिकारी **ई-3** के पद पर होता। हालाँकि, याचिकाकर्ता को ग्रेड ई-1 में पदोन्नति दिनांक 16-5-2003 को दी गई, जबकि वह उक्त पदोन्नति के लिए 1993 में ही पात्र था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**6.** श्री अली असगर ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को दिनांक 2-7-1990 से काल्पनिक (नोटशनल) वरिष्ठता प्रदान किए जाने संबंधी दिनांक

3-3-1994 का आदेश कभी क्रियान्वित ही नहीं किया गया तथा उसकी प्रति भी आज तक याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई। ईन तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण दुर्भावनापूर्ण आशय से कार्य कर रहे हैं और केवल याचिकाकर्ता को परेशान करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को अत्यधिक क्षति पहुँची है, क्योंकि उसके सहकर्मी एवं कनिष्ठ कर्मचारी अब उससे वरिष्ठ हो गए हैं और उत्तरवादियों का बदले की भावना से प्रेरित रवैया याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति पहुँचा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से ***केरला राज्य बनाम ई भास्करन पिल्लई***[1] के निर्णय पर भरोसा किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. श्री कोशी, उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता, ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को भी दिनांक 10-1-1989 के परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 2-7-1990 से सर्वेक्षक टी एण्ड एस ग्रेड 'ए' के पद पर धारित काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान की गई थी, और याचिकाकर्ता को प्रतिवादी कंपनी में समय-समय पर प्रचलित पदोन्नति नीति एवं दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उपलब्ध

[1] (2007) 6 एस सी सी 524

सभी लाभ प्राप्त हो चुके हैं। दिनांक 24-11-1994 के आदेश द्वारा आठ व्यक्तियों के पदोन्नत किए जाने की तिथि पर, याचिकाकर्ता के पास सात वर्षों का अनुभव उपलब्ध नहीं था। अतः, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया।

8. श्री कोशी ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि टी.एस. ग्रेड 'ए' से सहायक सर्वेक्षण अधिकारी (ई-1 ग्रेड) के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड यह है कि फीडर पद पर सात वर्षों की सेवा अनिवार्य हो। टी.एस. ग्रेड 'ए' से सहायक सर्वेक्षण अधिकारी (ई-1 ग्रेड) के लिए सात वर्षों की सेवा की यह आवश्यकता बाद में संशोधित की गई और दिनांक 18-12-1997 से फीडर पद पर केवल तीन वर्षों की सेवा कर दी गई। याचिकाकर्ता टी.एस. ग्रेड 'ए' के पद से सहायक सर्वेक्षण अधिकारी (ई-1 ग्रेड) के लिए पदोन्नति हेतु केवल जुलाई 1997 से ही पात्र हुआ। श्री कोशी यह भी तर्क प्रस्तुत करेंगे कि किसी विशेष पद पर अनुभव की गणना उस तिथि से की जानी है, जब याचिकाकर्ता को टी.एस. ग्रेड 'ए' में पदस्थ किया गया था। काल्पनिक पदोन्नति को अनुभव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की गणना हेतु नहीं माना जा सकता। अपने इस तर्क के समर्थन में श्री कोशी ने सर्वोच्च न्यायालय के ***भारत संघ बनाम एम भास्कर और अन्य***[2] के निर्णय का अवलंब लिया|

9. विद्वान् अधिवक्ता श्री कोशी ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता उन व्यक्तियों की तुलना में कोई अनुतोष प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता, जिन्हें दिनांक 24-11-1994 के आदेश द्वारा पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता को पदोन्नति नीति एवं समय-समय पर प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी पदोन्नतियाँ प्रदान की जा चुकी हैं, अतः यह याचिका निष्फल हो गई है। श्री कोशी ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली (एसीआर) के अवलोकन से यह पाया गया कि याचिकाकर्ता पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं था, क्योंकि वर्ष 1996-97 की गोपनीय चरित्रावली में 'औसत' प्रविष्टि थी। कंपनी की विधिक स्थिति स्वयं यह है कि जिस कर्मचारी की प्रविष्टि 'अच्छा' से नीचे हो, उसे पदोन्नति के लिए विचारित नहीं किया जाता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[2] (1996) 4 एस सी सी 416

10. प्रतिउत्तर में, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अली असगर ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के मामले में 7 वर्ष के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। यह मापदंड केवल *गैर-डिप्लोमा श्रेणी* अर्थात फील्ड उम्मीदवारों पर लागू होता है, जबकि याचिकाकर्ता के पास खनन में डिप्लोमा की योग्यता है, जिसके लिए पात्रता मानदंड सर्वेक्षक टी एंड एस ग्रेड 'ए' में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करना है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. "मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की तर्कों को सुना तथा अभिलेख एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।"

12. "कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक दिनांक 25-4-1987 में यह अनुशंसा की कि टी एंड एस ग्रेड 'ए' से सर्वेक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु, मैट्रिक्युलेट तथा सर्वेक्षक की योग्यता प्रमाणपत्र या खनन/सर्वेक्षण में डिप्लोमा तथा सर्वेक्षक प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी को *उप-सर्वेक्षक* के रूप में तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए।इसके उपरांत, यह

स्पष्ट नहीं है कि यह अनुशंसा स्वीकार की गई है या प्रभाव में लाई गई है अथवा नहीं।

13. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह निर्धारित करना कठिन है कि याचिकाकर्ता पदोन्नति हेतु पात्र होने के सुसंगत समय पर आवश्यक अनुभव तीन वर्ष था या सात वर्ष। अनुशंसा से यह संकेत मिलता है कि खनन या सर्वेक्षण में डिप्लोमा तथा सर्वेक्षक प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी हेतु सर्वेक्षक टी एंड एस 'ए' के पद पर तीन वर्षों का अनुभव, ई-1 ग्रेड के पद पर विचार हेतु आवश्यक था।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. अनुशंसा का सुसंगत अंश निम्नानुसार है :

**कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक**

**दिनांक 25.4.87 को आयोजित**

विषय क्रमांक 84:4सी

विषय: खान सर्वेक्षण कार्मिकों हेतु संशोधित स्टाफिंग पैटर्न/पदोन्नति अवसर।

4.15 निदेशक मंडल ने खान सर्वेक्षण कार्मिकों के लिए ई-8 ग्रेड तक पदोन्नति के अवसर खोलने हेतु अनुशंसित संशोधित कैडर योजना को स्वीकृति प्रदान की।

4.16 निदेशक मंडल ने यह प्रस्ताव का लाभ उन अधिकारीयों को प्रदान किये जाने को भी स्वीकृत किया कि खनन अनुशासन (ई-5 ग्रेड एवं उससे ऊपर) के वे अधिकारी, जिनके पास फर्स्ट क्लास योग्यता प्रमाणपत्र के अतिरिक्त 'माईन्स सर्वे योग्यता प्रमाणपत्र' भी है, उन्हें सर्वे अनुशासन में क्षैतिज रूप से स्थानांतरण का विकल्प दिया जाए, और ऐसे मामलों में सर्वे अनुशासन में पदोन्नति के लिए उनकी योग्यता निर्धारित करते समय, खनन कैडर में उस ग्रेड में उनकी सेवा को पूर्ण रूप से मान्य किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सर्वे कैडर योजना

अनुलग्नक–सी

| क्र. स. | पदनाम | वेतनमान | न्यूनतम योग्यता | न्यूनतम अनुभव |
|---|---|---|---|---|
| | उप-सर्वेक्षक | टी और एस-सी | मैट्रिकुलेट के साथ सर्वेक्षक योग्यता प्रमाणपत्र | निरंक |
| | सर्वेक्षक | टी और एस-ए | 1. मैट्रिकुलेट के साथ सर्वेक्षक योग्यता प्रमाणपत्र<br>2. खनन या सर्वेक्षण में डिप्लोमा तथा सर्वेक्षक प्रमाणपत्र | उप सर्वेक्षक के रूप में 3 वर्ष<br>निरंक |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 3. कंपनी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का दो वर्ष से कम न होने वाला सफल समापन एवं सर्वेक्षक योग्यता प्रमाणपत्र | निरंक |
| 3. | ई-1 | | I. सर्वेक्षक योग्यता प्रमाणपत्र के साथ | योग्यता प्राप्ति के पश्चात कुल 7 वर्ष का अनुभव जिसमें |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | मैट्रिकुलेट | से न्यूनतम 3 |
| | | | II. खनन या सर्वेक्षण में डिप्लोमा तथा सर्वेक्षक प्रमाणपत्र | वर्ष टी & एस – ए में होना आवश्यक। या 3 वर्ष उप-सर्वेक्षक के रूप में टी & एस – ए में |
| | | | III. कंपनी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का दो वर्ष से कम न होने वाला सफल समापन तथा सर्वेक्षक | 3 वर्ष सर्वेक्षक के रूप में टी & एस – ए में\| |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | योग्यता<br><br>प्रमाणपत्र | |

15. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता को प्रारंभ में दिनांक 2-7-1990 को उप-सर्वेक्षक (खनन) ग्रेड 'सी' के रूप में नियुक्त किया गया था।इसके पश्चात, दिनांक 26-3-1993 को उसे सर्वेक्षक ग्रेड 'ए' पर पदोन्नत/पदस्थ किया गया। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 3-3-1994 को प्रस्तुत प्रतिनिधित्व के आधार पर, उसे ग्रेड 'ए' के पद पर दिनांक 2-7-1990 से काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. यह प्रश्न उठता है कि तीन वर्ष/सात वर्ष के अनुभव की गणना किस तिथि से की जानी चाहिए — उस तिथि से जब याचिकाकर्ता को काल्पनिक वरिष्ठता प्रदान की गई, अथवा उस तिथि से जब वह वास्तव में पदोन्नत होकर दिनांक 26-3-1993 को पदस्थ हुआ। इस बिंदु पर कानून पूर्णतः स्पष्ट है।

***एम भास्कर*** (उपर्युक्त) के मामले में माननीय उच्च न्यायलय ने निम्नलिखित अनुसार अवधारित किया हैः

'15.....केवल यह तथ्य कि उसकी ग्रेड II में पदोन्नति 11-10-1988 से काल्पनिक रूप से प्रभावी मानी गई, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसने उस तिथि से अनुभव अर्जित करना प्रारंभ कर दिया। अनुभव प्राप्त करने हेतु वास्तविक कार्य करना आवश्यक होता है। काल्पनिक पदोन्नति कुछ हद तक अन्याय को दूर करने के लिए दी जाती है, अन्य बातों के आलावा में से, क्योंकि कोई कनिष्ठ कर्मचारी पहले पदोन्नत हो गया हो इसमें कोई संदेह नहीं कि उच्च पद पर पदोन्नत व्यक्ति काल्पनिक पदोन्नति की तिथि से अनुभव अर्जित नहीं कर सकता; अनुभव की गणना वास्तविक पदोन्नति की तिथि से ही की जानी होती है।...'"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. यदि तीन वर्ष के अनुभव की गणना दिनांक 26-3-1993 से की जाए, तो याचिकाकर्ता ई-1 ग्रेड के पद पर पदोन्नति हेतु अपने अभ्यर्थिता पर विचार किए जाने के लिए अप्रैल, 1996 के माह में पात्र हो गए था।

18. याचिकाकर्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ई के भास्करन पिल्लई का अवलंब लेते हुए, वेतन के बकाया प्रदान करने हेतु काल्पनिक पदोन्नति की तिथि से प्रभावी मानते हुए, वर्तमान मामले के तथ्यों से संबंधित नहीं है; क्योंकि काल्पनिक पदोन्नति प्रदान करने के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि याचिकाकर्ता को केवल काल्पनिक पदोन्नति का लाभ मिलेगा, वेतन में किसी भी प्रकार के अंतर अर्थात् बकाया के बिना।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता के अनुसार, विभागीय पदोन्नति समिति (संक्षेप में "डी पी सी") की बैठक दिनांक 13-4-1996 को आयोजित की गई थी, परंतु याचिकाकर्ता को कोई बुलावा पत्र जारी नहीं किया गया।इसके उपरांत दिनांक 24-12-1997, 9-5-1998 तथा 10-8-1998 को आयोजित डी पी

सी बैठकों में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया गया, परंतु संबंधित विभाग द्वारा एसीआर उपलब्ध न कराने के कारण उसे चयनित नहीं किया गया।

20. उत्तरवादी ने याचिकाकर्ता के मामले पर तब विचार किया जब वह पात्र हुआ और उसके एसीआर प्राप्त हुए। हालांकि, एसीआर में 'औसत' की टिप्पणी दर्ज थी, जिसके कारण याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1996-97 के औसत एसीआर के आधार पर उसके मामले पर विचार न किए जाने या अस्वीकार किए जाने को लेकर कोई चुनौती डी गई। इसके बाद दिनांक 21-9-2002 को आयोजित डी पी सी में याचिकाकर्ता को "उपयुक्त पाया गया और दिनांक 16-5-2003 (अनुलग्नक आर/1) के आदेश द्वारा उसे ग्रेड 'ई-1' के पद पर पदोन्नत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. डी पी सी की कार्यवाही एवं उसमें की गई चयन प्रक्रिया का न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता, जब तक यह न पाया जाए कि इसमें दुर्भावना या नियमों का उल्लंघन हुआ है।

22. सर्वोच्च न्यायालय ने ***नूतन अरविन्द (श्रीमती) बनाम भरत संघ***[3] के मामले में निम्नलिखित अनुसार अवधारित किया:

यह (डी पी सी) का कार्य है कि वह उसी समय सबंधित अभ्यर्थियों पर विचार करे, जब उनके मूल्यांकन किए जाते हैं। जब एक उच्च-स्तरीय समिति ने अभियार्थियों की योग्यता का परीक्षण कर लिया है, ग्रेडिंग का आकलन कर लिया है और उनके पदोन्नति मामलों पर विचार कर लिया है, तब यह न्यायालय डीपीसी द्वारा किए गए उस मूल्याकन का अपीलीय प्राधिकारी समीक्षा नहीं कर सकता। डीपीसी किसी अधिकारी द्वारा किए गए समीक्षा के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालती है और गोपनीय चरित्रावली लिखने के लिए वह अधिकारी सक्षम है या नहीं — यह निर्णय लेना और उचित अधिकारी से चरित्रावली मंगवाना उनका अधिकार है। डीपीसी ने यह प्रक्रिया अपनाई और अपीलकर्ता को पदोन्नति के लिए अयोग्य पाया। अतः हमें हस्तक्षेप करने हेतु किसी स्पष्ट विधिक त्रुटि का पता नहीं चलता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[3] (1996) 2 एस सी सी 488

23. सर्वोच्च न्यायालय ने ***भरत संघ बनाम ए के नरूला***[4] के मामले में निम्नलिखित अनुसार अवधारित किया:

15... जब डीपीसी के विरुद्ध किसी भी प्रकार के दुर्भावना या पक्षपात के आरोप नहीं हैं और न ही मूल्यांकन की प्रक्रिया में किसी मनमानी का अभाव है, तो ऐसे में उच्च न्यायालय द्वारा उत्तरवादी को उन्नयन का लाभ देने का निर्देश देना उचित नहीं था, जैसा कि ***आर एस विर्क*** के मामले में किया गया था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24.अन्यथा भी, इस याचिका में याचिकाकर्ता ने यह निर्देश देने की प्रार्थना की है कि उसे ग्रेड 'ए' दिनांक 2-7-1990 से दिया जाए। याचिकाकर्ता को पहले ही दिनांक 2-7-1990 से ग्रेड 'ए' के पद पर काल्पनिक वरिष्ठता दी जा चुकी है, इसलिए क्रियान्वयन के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आदेश दिनांक 3-3-1994 स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह आदेश बिना वेतन-भत्तों के बकाया दिए पारित किया गया था, केवल काल्पनिक वेतन निर्धारण को छोड़कर। आदेश दिनांक 3-3-1994 इस याचिका में चुनौती नहीं दी गई है।

---

[4] (2007) 11 एस सी सी 10

25.इसके बाद, याचिकाकर्ता ने परिणामिक पदोन्नति का अनुतोष माँगा है, जिसे प्रदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता को दिनांक 16-5-2003 के आदेश (अनुलग्नक—आर/1) द्वारा पहले ही ई-1 ग्रेड के पद पर पदोन्नत किया जा चुका है, और उसके बाद उसकी अभ्यर्थीता भविष्य की पदोन्नतियों के लिए नियमों के अनुसार विचार किया जा सकता है।

26. परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका गुणविहिन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और इसे खारिज किया जाता है।

27. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**सही/-**

**सतीश के. अग्निहोत्री**

**न्यायधीश**

**---00---**

अस्वीकरणः **हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुप्रकरण पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं**

यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|

TRANSLATED BY RAKSHITA MISHRA

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur